



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-97

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 235679 दिनांक 25/07/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	RAJBALA SHARMA W/o LAKHI PRASAD SHARMA	मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी श्री कपिल रायसिंघानी पुत्र स्व. श्री	69	79.22 SQ. YARD	Private	MAHIMA KOPAL Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना महिमा कोपल के भूखण्ड संख्या 69 क्षेत्रफल 79.22 व.ग. की लीजडीड दिनांक 09.01.2013 को मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी श्री कपिल रायसिंघानी पुत्र स्व. श्री के.वी. रायसिंघानी के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2016 को मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी श्री बाबू लाल सेन पुत्र प्रभू दयाल सेन द्वारा श्री हिम्मत सिंह संधु पुत्र ले.ज.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बलवीर सिंह संधु को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी दिनांक 28.05.2019 को हिम्मत सिंह संधु पुत्र बलवीर सिंह संधु द्वारा अपने पिता बलवीर सिंह संधु पुत्र हरनाम सिंह के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2019 को ले. जनरल बलवीर सिंह संधु पुत्र हरनाम सिंह बहैसियत मुख्त्यारआम हिम्मत सिंह संधु पुत्र ले.ज. बलवीर सिंह द्वारा श्रीमती राजबाला शर्मा पत्नी लखीप्रसाद शर्मा को कर दिया गया। आवेदिका द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. RAJBALA SHARMA W/o LAKHI PRASAD SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |